न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा

(पीठासीन अधिकारी राकेश कुमार आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 03/2020 – रेफरेन्स

उनवान प्रकरण

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, माण्डल	बनाम	1. भंवरलाल पिता हीरालाल जाट निवासी बागोर तहसील माण्डल
–प्रार्थी		–विपक्षी

कार्यवाही प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 रा.भू.रा. अधिनियम 1956

उपस्थित :–

1. पेरोकार सरकार – प्रार्थी की ओर से

निर्णय

दिनांक 05-08-.2020

माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के रेफरेन्स/एल.आर./985/2013/भीलवाडा सरकार बनाम भंवरलाल निर्णय दिनांक 26.08.2019 में अंकन किया गया कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने डी.बी. सिविल जनहित याचिका सं. 1536/2003 उनवानी अब्दुल रहमान बनाम सरकार में निर्णय दिनांक 02.08.2004 पारित करते हुये 15 अगस्त 1947 की स्थिति कायम रखने हेतु निर्देशित किया है। इसके लिए संवत् 2004 की जमाबन्दी में नदियां व नाले के नाम भूमि होने पर ही रेफरेन्स स्वीकार किया जा सकता हैं। प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया जाता हैं कि इस प्रकरण में सवंत् 2004 की कोई भी जमाबन्दी संलग्न नहीं है। प्रकरण पूर्ण तैयार करने के पश्चात् ही यदि प्रकरण बाद जांच रेफरेन्स योग्य पाया जावे तो पुनः मण्डल में प्रेषित किया जावे।

तहसीलदार माण्डल से प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार –

1. ग्राम बागोर तहसील माण्ड़ल के आराजी नंबर 3639 रकबा 0.01 बीघा भूमि जमाबन्दी संवत् 2043 से 2046 के खाता सं. 02 अनुसार उक्त आराजी की किस्म नदी दर्ज थी।
2. वर्तमान जमाबन्दी सम्वत 2067 से 2070 के खाता सं0 1400 अनुसार विपक्षी के नाम गैर खातेदारी हक से दर्ज रिकाड़ हैं। उपरोक्त आराजी भूमि की किस्म पूर्व में गै0मु0नदी दर्ज थी, जो विपक्षी को दिनांक 20.06.1989 को चाह नियमन की गई।
3. उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा द्वारा प्रकरण सं0 161/1989 से विपक्षी द्वारा ग्राम बागोर तहसील माण्ड़ल की आ0नं0 3639 में रकबा 0.01 बीघा भूमि पर खोदे गये कुएं को सशर्त नियमित किया गया हैं। आदेश में भूमि की किस्म गै0मु0नदी अंकित हैं।
4. आदेश की पालना में खोले गये नामान्तरकरण सं0 861 में आराजी नं0 3639 की किस्म नदी दर्ज हैं।
5. उक्त नामान्तरकरण में आ0नं0 7414/3639 रकबा 0.01 बीघा को विपक्षी के नाम आ0चा0 दर्ज किया गया, जो दिनांक 20.06.1989 को स्वीकृत हुआ हैं।
6. राजस्व अभिलेख में जमाबंदी संवत् 2067 से 2070 में प्रश्नगत आराजी नंबर

अति जिला कलक्टर

7414/3639 रकबा 0.01 बीघा भूमि विपक्षी के नाम गैर खातेदारी हक के रूप में अभिलिखित है।

7. जमाबंदी संवत् 2067 से 2070 में प्रश्नगत आराजी के मूल आराजी नं0 3639 की किस्म गै0मु0नदी दर्ज हैं, इससे यह तथ्य तो सिद्ध है कि तत्समय भी प्रश्नगत आराजी भू–भाग गै0मु0नदी अंकित थी।

माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के रेफरेन्स/एल. आर./985/2013/भीलवाडा सरकार बनाम भंवरलाल निर्णय दिनांक 26.08.2019 रेफरेन्स प्रतिवेदन प्राप्त होने पर पुनः दिनांक 10.01.2020 को पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण में बहस सुनी गई।

पत्रावली का आद्योपान्त परीक्षण किया गया, जिसके उपरान्त यह पाया कि ग्राम बागोर तहसील माण्ड़ल के आराजी नंबर 3639 रकबा 640.18 बीघा किस्म गे. मु नदी संवत् 2043 से 2046 की जमाबंदी में दर्ज रिकार्ड थी, जिसे उपखण्ड अधिकारी भीलवाडा के प्रकरण संख्या 161/89 से प्रार्थी भंवरलाल पिता हीरालाल जाट को फोर्म सी नियम 10 के तहत ग्राम बागौर तहसील माण्डल में आराजी नं. 3639 क्षैत्रफल 01 बिस्वा मे कुएं का नियमन दिनांक 20.06.89 को किया गया, जो प्रारम्भ से ही शून्य है।

प्रार्थी तहसीलदार माण्डल ने राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के निर्देशों के अनुरूप संवत् 2004 की जमाबन्दी प्रस्तुत करने में असमर्थता प्रकट की हैं।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के तहत नियमित की गई भूमि की किस्म प्रतिबंधित श्रेणी की होने से नियमन नियमों के विरूद्ध होकर निरस्त योग्य है एवं भूमि की किस्म को पूर्व स्थिति में बहाल किया जाना आवश्यक हैं। उपर्युक्त विवेचन एवं पत्रावली में उपलब्ध अभिलेख से यह तथ्य सिद्ध है कि तत्समय भी प्रश्नगत आराजी भू–भाग किस्म नदी दर्ज रिकार्ड थी।

उपरोक्त विवेचन अनुसार माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के जनहित याचिका 1536/03 एवं रिट पीटीशन सं0 11153/2011 में पारित निर्णय के अनुसरण में प्रार्थी का रेफरेन्स प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर माननीय राजस्व मण्ड़ल राजस्थान, अजमेर को स्वीकृति के लिए प्रेषित किया जाना उचित प्रतीत हैं। अतःएव–

आदेश

रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता हैं। ग्राम बागौर तहसील माण्ड़ल के आराजी नंबर 1 रकबा 11.17 बीघा किस्म नदी संवत् 2049 से 2050 की जमाबंदी में दर्ज रिकार्ड थी जिसमें नियमन से विपक्षीगण का नाम हटाया जाकर पुनः नदी अंकित कराने हेतु माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को रेफरेन्स स्वीकृति हेतु प्रेषित करने के आदेश दिए जाते है।

निर्णय आज दिनांक 05-8-2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार)
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा